# प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति वैठक

## लुम्बिनी प्रदेश

राप्ती उपत्यका (देउखुरी), नेपाल

२०८२ साल भदौ ६ गते

# प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति वैठक

## लुम्बिनी प्रदेश
## राप्ती उपत्यका (देउखुरी), नेपाल

(२०८२ साल भदौ ६ गते)


प्रस्तोताः डा. डिल्ली राज अर्याल

उपाध्यक्ष,
प्रदेश योजना आयोग

# प्रस्तुतीका विषयवस्तुहरु

- पृष्ठभूमि
- आर्थिक-सामाजिक परिसूचकहरु
- प्रदेश सरकारको आय
- प्रदेश सरकारको खर्च
- केहि महत्वपुर्ण आयोजनाहरु
- वित्तीय हस्तान्तरण (स्थानीय तहमा)
- क्षेत्रगत बजेट बिनियोजन
- अघिल्लो बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था
- आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य समस्याहरू
- प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकका कार्यसूचि र प्रस्तावित निर्णयहरु

# पृष्ठभूमि

**अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख र सुदृढ बन्दै गएको छ।**

- राजस्व र संघीय खर्चमा वृद्धि ।
- बाह्य क्षेत्र सवल ।
- वस्तु निर्यात र आयात दुबै बढेको
- पुँजी बजार तुलनात्मकरुपमा सबल बन्दै गएको
- पर्यटक आगमन १.३ प्रतिशतले बढेर १० लाख ७८ हजार ।
- नेप्से सूचकाङ्क २७९४.७८ बिन्दु
- कुल वस्तु निर्यात ७७.८ प्रतिशतले बढेर रु.२ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड (३.० प्रतिशत)

# पृष्ठभूमि...

- वस्तु आयात १३.१ प्रतिशतले बढेर रु.१६ खर्ब ४४ अर्ब ८० करोड ।
- विप्रेषण आप्रवाह १५.५ प्रतिशतले बढेर रु.१५ खर्ब ३२ अर्ब ९३ करोड ।
- चालु खाता रु.३ खर्ब ७ अर्ब ३१ करोडले बचतमा (रु.२ खर्ब ३८ करोड)।
- शोधनान्तर बचत रु.४ खर्ब ९१ अर्ब ४४ करोडले (रु.४ खर्ब २५ अर्ब ६७ करोड)
- विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई
- १७.६ महिना बराबरको वस्तु आयात
- १४.७ महिना बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात

***अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा फर्कदै छ, तर आन्तरिक मागलाई विस्तार गरी निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा थप बढाउँदै लैजाने चुनौती भने कायमै छ।***

# पृष्ठभूमि...

| क्र सं | बिबरण | आर्थिक वर्ष २०८० /८१ | आर्थिक वर्ष २०८१/८२ | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | आर्थिक वृद्धिदर | ३.६७ प्रतिशत | ४.६१ प्रतिशत | अर्थतन्त्रको आकार रु.६१ खर्ब ७ अर्ब |
| २ | मुद्रास्फीति | ५.६२ प्रतिशत | ४.२४ प्रतिशत | ५.५० प्रतिशत लक्ष्य |
| ३ | राजस्व सङ्कलन | १०.६ प्रतिशतले बढेको | ११.३ प्रतिशतले वृद्धि | रु. ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड |
| ४ | संघीय खर्च | २.० प्रतिशतले घटेको | ९.३ प्रतिशतले वृद्धि | रु.१५ खर्ब २३ अर्ब ११ करोड (८१.९ प्रतिशत) |

- कृषि, वन तथा मत्स्यपालन
- उत्पादन मूलक उद्योग
- थोक तथा खुद्रा व्यापार , गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत सेवा
- वित्तीय तथा बिमाका क्रियाकलाप
- यातायात तथा भण्डारण
- आवास तथा भोजन सेवा

# पृष्ठभूमि...

**सामाजिक विकासका सूचकहरुमा उपलब्धी सकारात्मक**

- औसत आयू बढेको
- साक्षरता दर बढेको
- विद्यालयमा खुद प्रवेश दर र खुद भर्ना दर बढेको
- लैङ्गिक समता सूचकमा सुधार
- खानेपानी र सरसफाईको पहुँचमा वृद्धि भएको
- मातृमृत्यू दर, शिशु मृत्यू दर र बाल मृत्यूदर न्यूनीकरणमा सुधार
- समावेशी विकासमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल
- लैङ्गिक सशक्तिकरणमा सुधार
- मानव विकास सूचकाङ्कमा सामान्य सुधार
- सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानी बढ्दै

- सूचना प्रविधि एवम् सञ्चार क्षेत्रको विकास तीब्र रहेको
- भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी बढेको र पूर्वाधार थपिएको
- बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्र सवल बन्दै गएको
- अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने चरणमा रहेको

# पृष्ठभूमि...

- न्यून आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकासको गति कमजोर
- निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसङ्ख्या (२४.३५ प्रतिशत)
- विद्यमान स्रोत र लगानी आवश्यकता बीचको अन्तर उच्च
- सन्तुलित विकास तथा आर्थिक असमानता न्यूनीकरणा
- उत्पादनशील तथा लाभजन्य रोजगारी सिर्जना
- आयात, विप्रेषण आप्रवाह र वैदेशिक सहायता माथिको उच्च निर्भरता
- दिगो विकासका अधिकांश लक्ष्यहरु हासिल गर्न कठिन (हालकै स्थितिमा)
- मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न कठिन (सन् २०३० मा)
- प्राप्त जनसाङ्ख्यिक लाभका अवसरहरुको उपयोग

# प्रदेश आर्थिक-सामाजिक परिसूचकहरु

| | |
|---|---|
| जम्मा परिवार संख्या | ११,४१,३४५ |
| जनसंख्या | ५१,२२,०७८ |
| पुरुष | २४,५४,४०८ |
| महिला | २६,६७,६७० |
| लैङ्गिक अनुपात | ९२.०१ |
| परिवारको औसत आकार | ४.४९ |
| जनघनत्व | २३० |
| वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर % | १.२४ |
| अनुपस्थित जनसंख्या (अक्सर विदेशमा बस्ने) | ३,०८,०७३ परिवारबाट ४,२०,९०६ |

# प्रदेश आर्थिक-सामाजिक परिसूचकहरु...

| सूचक | आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अवस्था |
|---|---|
| आर्थिक वृद्धिदर (प्रतिशत) | ४.७० |
| निरपेक्ष गरिबीको दर (प्रतिशत) | २४.३५ |
| प्रति व्यक्ति आय (अमेरिकी डलर) | १२०१ |
| बेरोजगारीको दर (प्रतिशत) | ८ |
| मानव विकास सुचकाङ्क | ०.५६३ |
| श्रमशक्ति सहभागिता दर | ३८.५ |

| सुचकहरु | आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको अवस्था |
|---|---|
| जन्मदाको अपेक्षित आयु (वर्ष) | ६९.५ |
| साक्षरता दर १५ वर्षमाथि (प्रतिशत) | ७८.०८ |
| लैङ्गिक विकास सुचकाङ्क | ०.८८६ |
| बाल मृत्यु दर (प्रति हजार) | ४१.० |
| मातृ मृत्यु अनुपात (प्रति लाख जिवित जन्म) | २०७ |
| माध्यमिक तह (९-१२)मा कुल भर्नादर (प्रतिशत) | ८३.९ |

# प्रदेश आर्थिक-सामाजिक परिसूचकहरु...

| सुचकहरु | आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको अवस्था(%) |
|---|---|
| पुड्कोपना (प्रतिशतमा) | २५.१ |
| पाँच वर्ष मुनिका वालवालिकामा ख्याउटेपना (प्रतिशतमा) | १६.६ |
| रक्तअल्पता भएका (१५-४९ वर्षका) महिलाहरु (प्रतिशतमा) | ४४.४ |
| गम्भीर रक्तअल्पता भएका (१५-४९ वर्षका) महिलाहरु (प्रतिशतमा) | १.५ |
| कम तौल (५ वर्ष मुनिका बालबालिका) | २३.३ (१०) |
| रक्त अल्पता (६-५९ महिनासम्मका बालबालिका) | ४८.० |

| सुचकहरु | आर्थिक वर्ष२०८०/८१ सम्मको अवस्था |
|---|---|
| खानेपानी सुविधापुगेका घरपरिवार (प्रतिशत) | ९२.८ |
| विद्युत सेवा पुगेको जनसंख्या सौर्य उर्जासहित (प्रतिशत) | ९९ |
| सिंचित क्षेत्र (प्रतिशत) | ५५.७ |
| इन्टरनेट पहुँच पुगेका घरपरिवार (प्रतिशत) | ७५.५ |

# प्रदेश आर्थिक-सामाजिक परिसूचकहरु....

## प्रदेशगत बसाइँसराइ (जनगणना २०७८ अनुसार)

| प्रदेश | पुरुष | | महिला | |
|---|---|---|---|---|
| | बसाइँ सरी आउने दर(प्रतिशतमा) | बसाइँ सरी जाने दर (प्रतिशतमा) | बसाइँ सरी आउने दर(प्रतिशतमा) | बसाइँ सरी जाने दर (प्रतिशतमा) |
| कोशी | ७.३ | १९.४ | ७.८ | २१ |
| मधेश | ३.७ | १९.६ | ५ | १३.७ |
| बागमती | ५८.६ | १३.३ | ५२.२ | १३.५ |
| गण्डकी | १०.४ | १७.४ | १०.३ | २१.१ |
| लुम्बिनी | १४.६ | १२.३ | १८.२ | १३.३ |
| कर्णाली | २.७ | १०.४ | ३ | ११.४ |
| सुदूरपश्चिम | २.७ | ७.६ | ३.६ | ६ |

# प्रदेश आर्थिक-सामाजिक परिसूचकहरु...

## जिल्लागत बसाईँसराइसम्ब (जनगणना २०७८ अनुसार)

| जिल्ला | स्थानीय जनसंख्या | बसाइँ सरी आउने दर (प्रतिशतमा) | बसाइँ सरी जाने दर (प्रतिशतमा ) |
|---|---|---|---|
| रुकुम-पूर्व | ५६,३३८ | १.६ | ९.२ |
| रोल्पा | २३२,७८७ | १ | ५.४ |
| प्यूठान | २२९,२७६ | १.४ | ६.२ |
| गुल्मी | २४३,०६९ | २.५ | ११.७ |
| अर्घाखाँची | १७४,२७० | २.२ | १२ |
| पाल्पा | २३९,२६० | ३.१ | ९.७ |
| नवलपरासी-पश्चिम | ३५४,०२४ | ३.७ | २.३ |
| रुपन्देही | १,०४७,११७ | ६.७ | १.८ |
| कपिलवस्तु | ६३७,९४९ | २.७ | १.४ |
| दाङ | ६६३,०९० | ४.८ | २.३ |
| बाँके | ५७३,००६ | ५.४ | १.९ |
| बर्दिया | ४४९,६३४ | ३.३ | ३.७ |

# प्रदेश आर्थिक-सामाजिक परिसूचकहरु...

## बसाइँसराइको कारण (जनगणना २०७८ अनुसार)

| क्षेत्र | काम/ रोजगारी | व्यवसाय | अध्ययन /तालिम | विवाह | आश्रित परिवार सदस्य | प्राकृतिक प्रकोप | कृषि | घर फर्किएको | अन्य | जम्मा सख्यामा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रतिशत | | | | | | | | | |
| नेपाल | १९.२ | ३.२ | १४.१ | २४.९ | २५.९ | ०.५ | १.९ | ३.१ | ७.२ | २,०१०,०७८ |
| कोशी | १६.२ | ३.१ | १०.६ | २६.६ | २७.१ | ०.४ | ४.२ | ४.४ | ७.४ | ३२६,५७७ |
| मधेश | ९.३ | १.५ | ५.८ | ६४.१ | १२.७ | ०.३ | १.१ | २.४ | २.८ | १८३,२१२ |
| बागमती | २५.१ | ३.४ | १७.३ | १३ | २८.९ | ०.५ | ०.८ | २ | ९ | ८११,०८१ |
| गण्डकी | २२.२ | ४ | १४.९ | २१.७ | २५.८ | ०.५ | १.२ | ३.४ | ६.१ | १८५,९५४ |
| लुम्बिनी | १४.९ | ३.७ | १३.२ | २७.५ | २६.९ | ०.५ | २.४ | ३.५ | ७.६ | २९२,१५० |
| कर्णाली | १५.१ | ४.७ | १६.६ | ३३.२ | १८.५ | ०.३ | १.७ | ५.७ | ४.३ | ६८,५२९ |
| सुदूरपश्चिम | ११.७ | २.२ | १३.३ | ३३.६ | २५.४ | ०.९ | ३.८ | ४.३ | ४.९ | १४२,५७५ |

# प्रदेश आर्थिक-सामाजिक परिसूचकहरु...

## राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा लुम्बिनी प्रदेशको योगदान र वृद्धिदर (प्रतिशतमा)

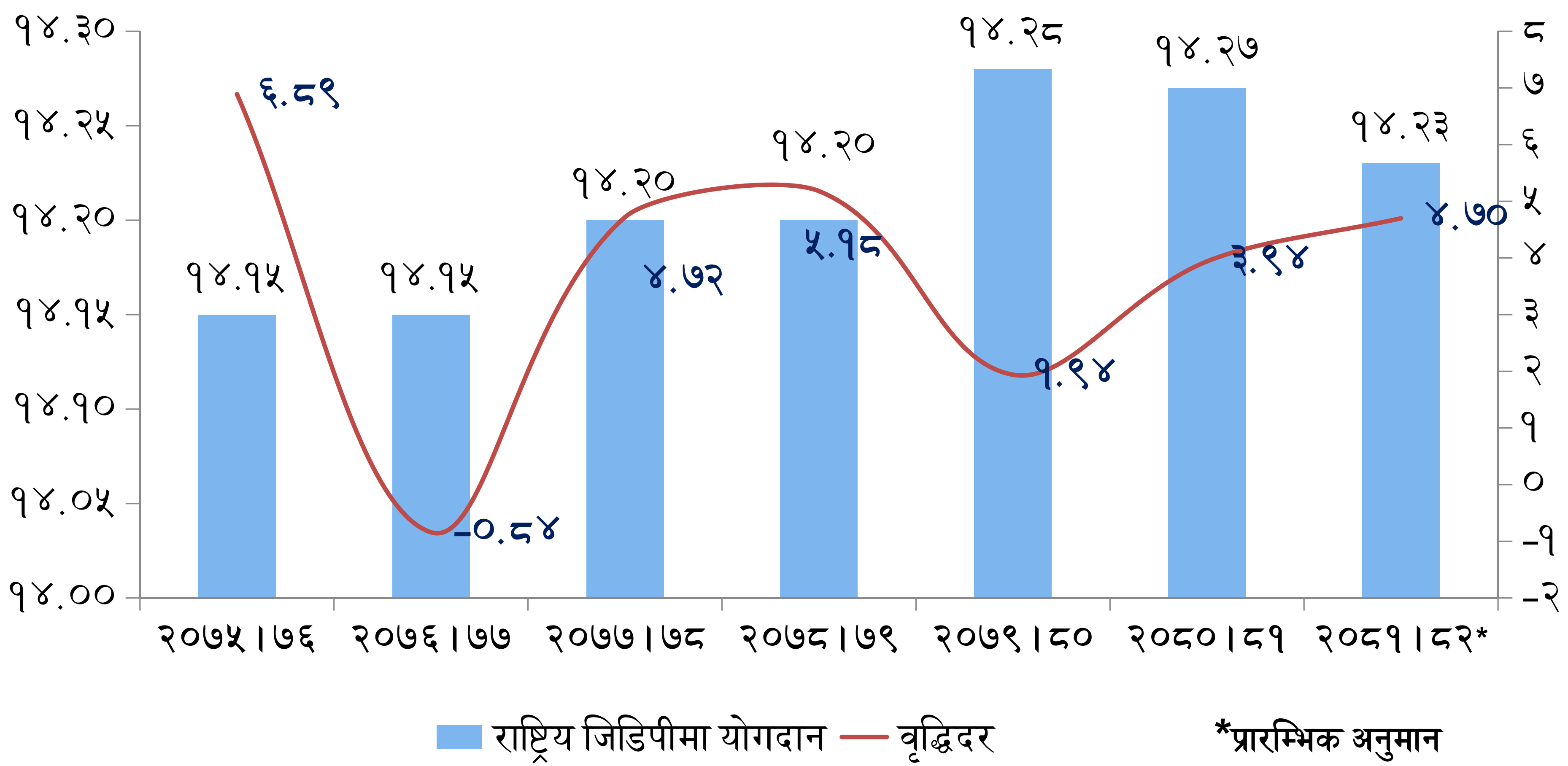


*प्रारम्भिक अनुमान

# प्रदेश आर्थिक-सामाजिक परिसूचकहरु...

## प्रदेशगत आर्थिक वृद्धिदरको प्रवृत्ति

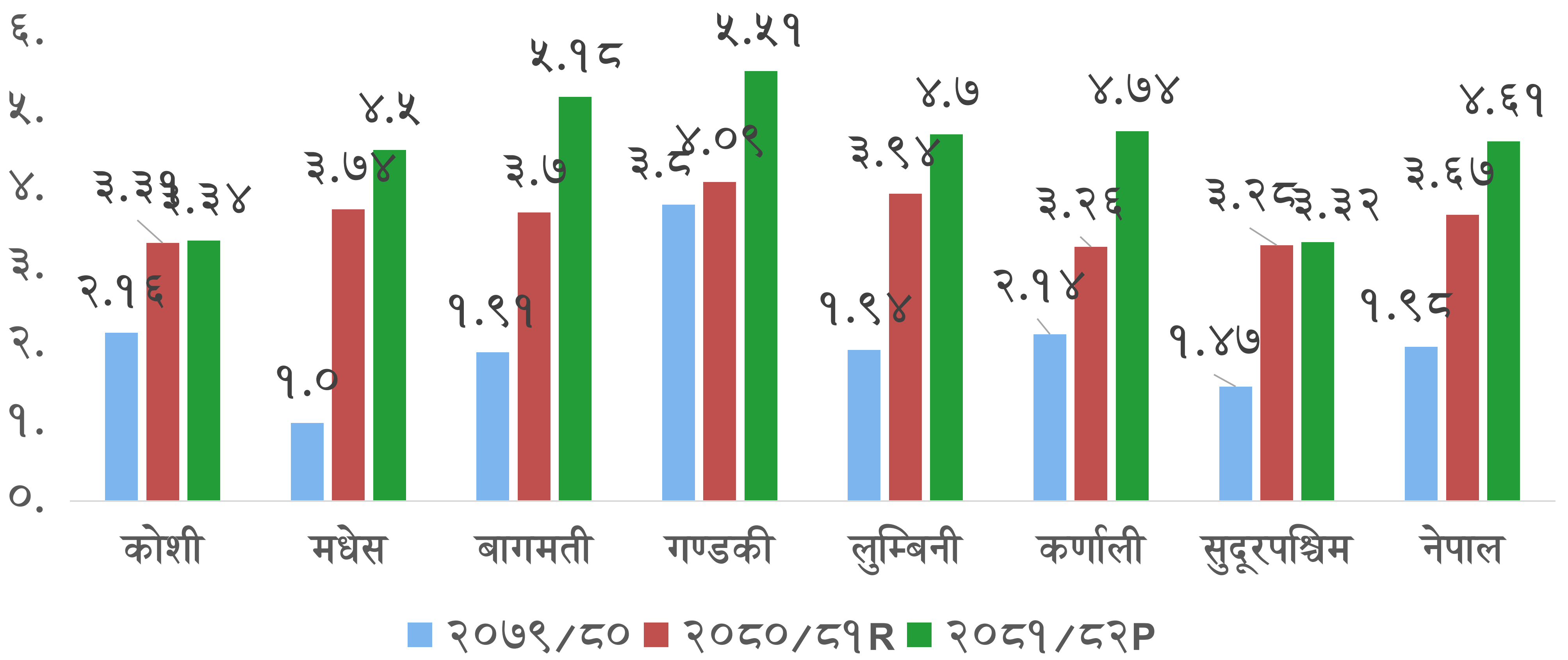

# प्रदेश आर्थिक-सामाजिक परिसूचकहरु...

## प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्षेत्रगत वृद्धिदर (आ.व. २०८१।८२)

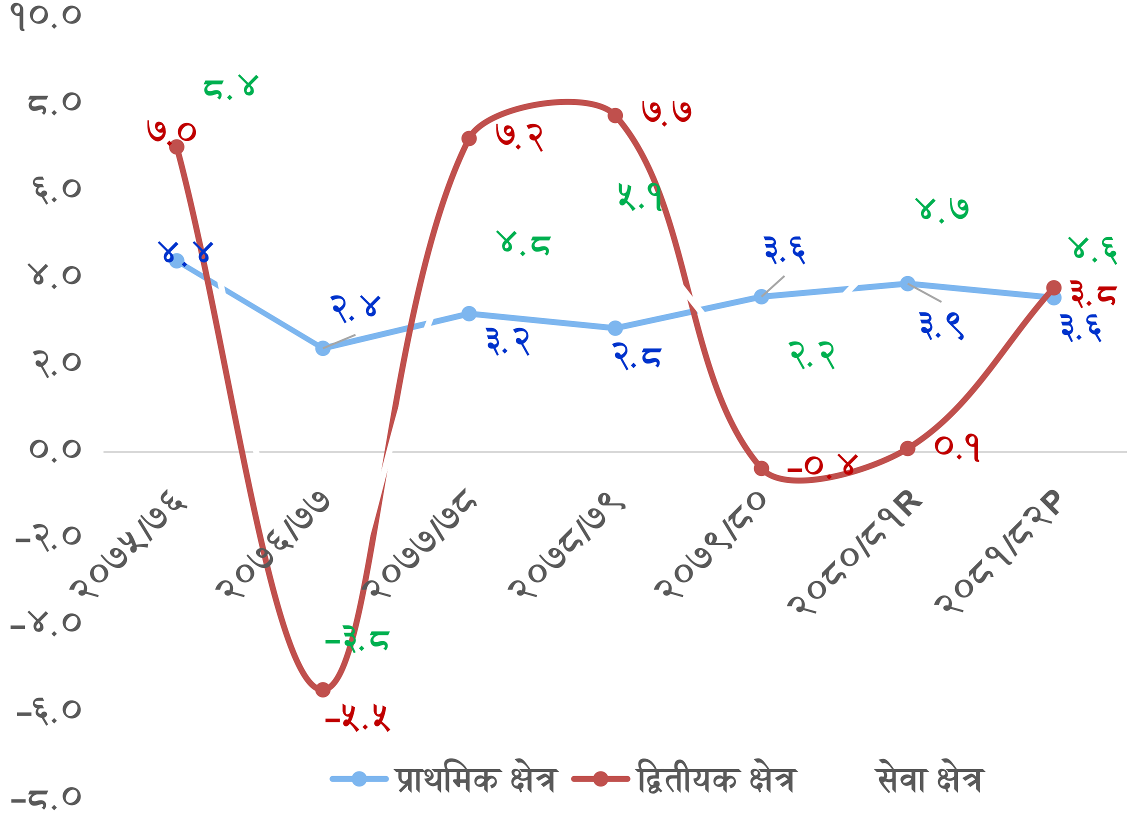


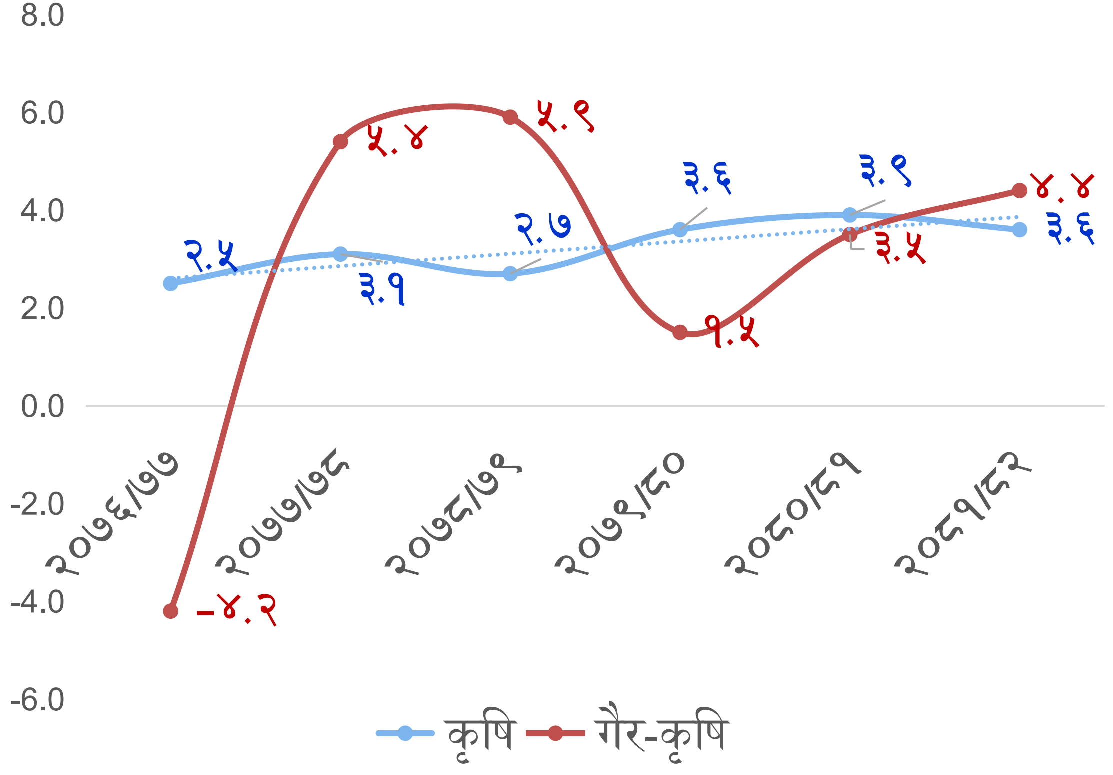

# प्रदेश आर्थिक-सामाजिक परिसूचकहरु...

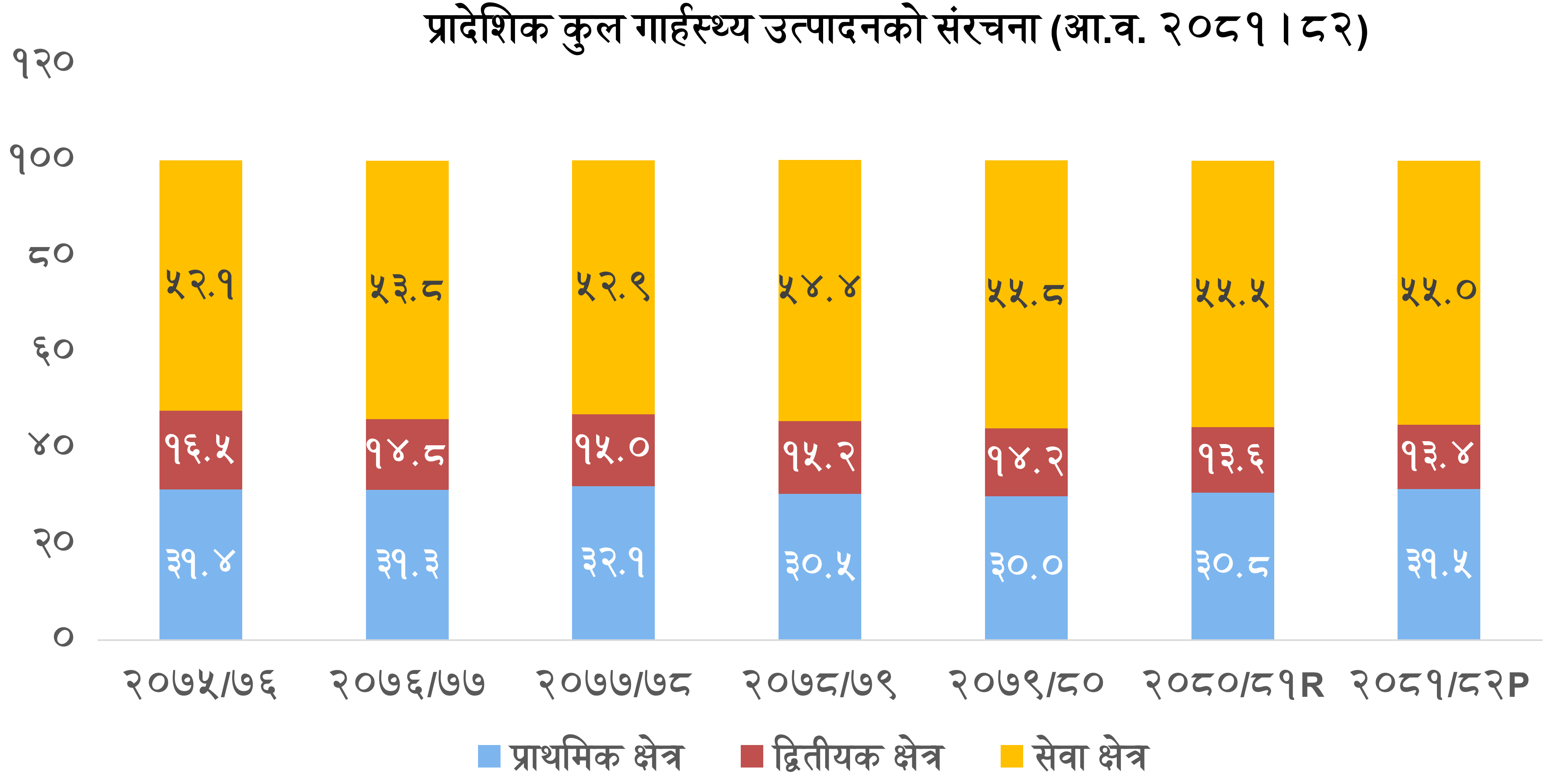

# प्रदेश आर्थिक-सामाजिक परिसूचकहरु...

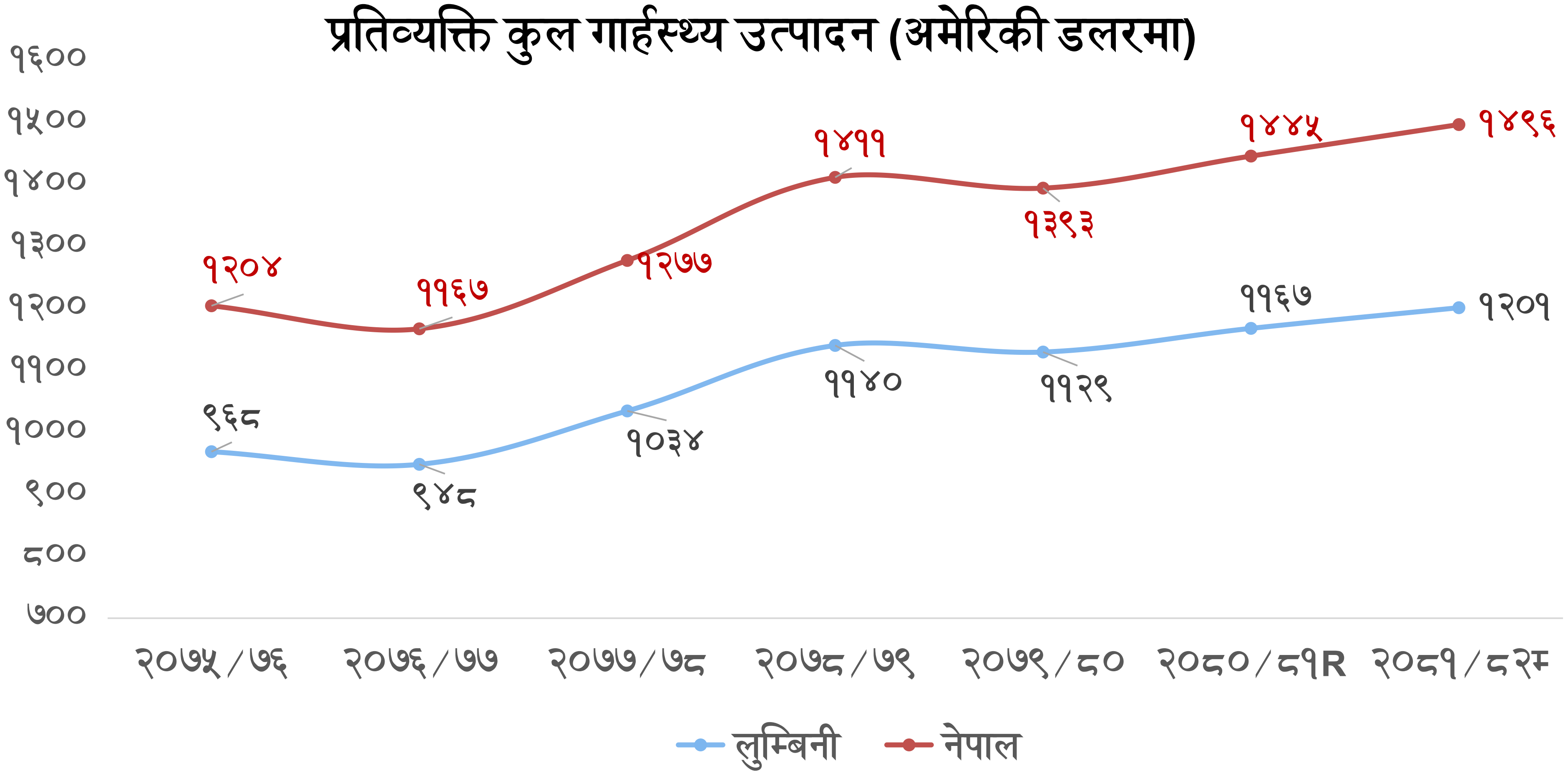

# प्रदेश सरकारको  आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को आय

# आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आय

## संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान (रु.करोडमा)

| अनुदान | वित्तीय समानीकरण अनुदान | सशर्त अनुदान | विशेष अनुदान | समपूरक अनुदान | कुल जम्मा |
|---|---|---|---|---|---|
| २०७५/७६ | ६८७ | ६६१ | | ५ | १३५३ |
| २०७६/७७ | ७५४ | ८१८ | १९ | १५ | १६०७ |
| २०७७/७८ | ७६४ | ७०४ | ३ | ३२ | १५०३ |
| २०७८/७९ | ८०३ | ६३९ | ३३ | ३८ | १५१२ |
| २०७९/८० | ७४७ | ५३५ | २४ | ३८ | १३४५ |
| २०८०/८१ | ६०४ | ३८९ | ५३ | २३ | १०६९ |
| २०८१/८२* | ७६० | २८१ | ३४ | ३३ | ११०८ |

# आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आय...

## सङ्घीय अनुदानको लक्ष्य तथा प्रगति (रु.करोडमा)

| सङ्घीय अनुदान | लक्ष्य | निकासा | यथार्थ प्राप्ती | निकासा % | यथार्थ प्राप्ती % |
|---|---|---|---|---|---|
| समानीकरण अनुदान | ८२९ | ७६० | ७६० | ९१.८ | ९१.८ |
| सशर्त अनुदान | ४१९ | ३४४ | २८१ | ८२.१ | ६७.० |
| विशेष अनुदान | ७४ | ७४ | ३४ | १००.० | ४५.५ |
| समपूरक अनुदान | ८० | ८० | ३३ | १००.० | ४१.७ |
| जम्मा | १४०२ | १२५९ | ११०८ | ८९.८ | ७९.१ |

* प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार

# आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आय...

## राजस्व लक्ष्य र प्रगति (रु.करोडमा)

| राजस्व | लक्ष्य | प्रगति | प्रगति(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान (यथार्थ) | १४०२ | ११०८ | ७९.१ |
| नेपाल सरकारबाट प्राप्त राजश्व बाँडफाँट | १२०२ | १०७२ | ८९.३ |
| नेपाल सरकारबाट प्राप्त रोयल्टी | ५० | २० | ३९.४ |
| प्रदेशले सङ्कलन गर्ने *(एकल अधिकार)* | ४७१ | १९३ | ४१.० |
| प्रदेशले सङ्कलन गर्ने सवारी साधन कर *(साझा अधिकार)* | २८० | १८६ | ६६.३ |
| स्थानीय तहले सङ्कलन गर्ने *(साझा अधिकार)* | २९२ | १८७ | ६४.१ |
| गत वर्षको मौज्दात | २०० | ८१ | ४०.३ |
| कुल जम्मा | ३८९७ | २८४७ | ७३.१ |



* प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार

# आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को आय...

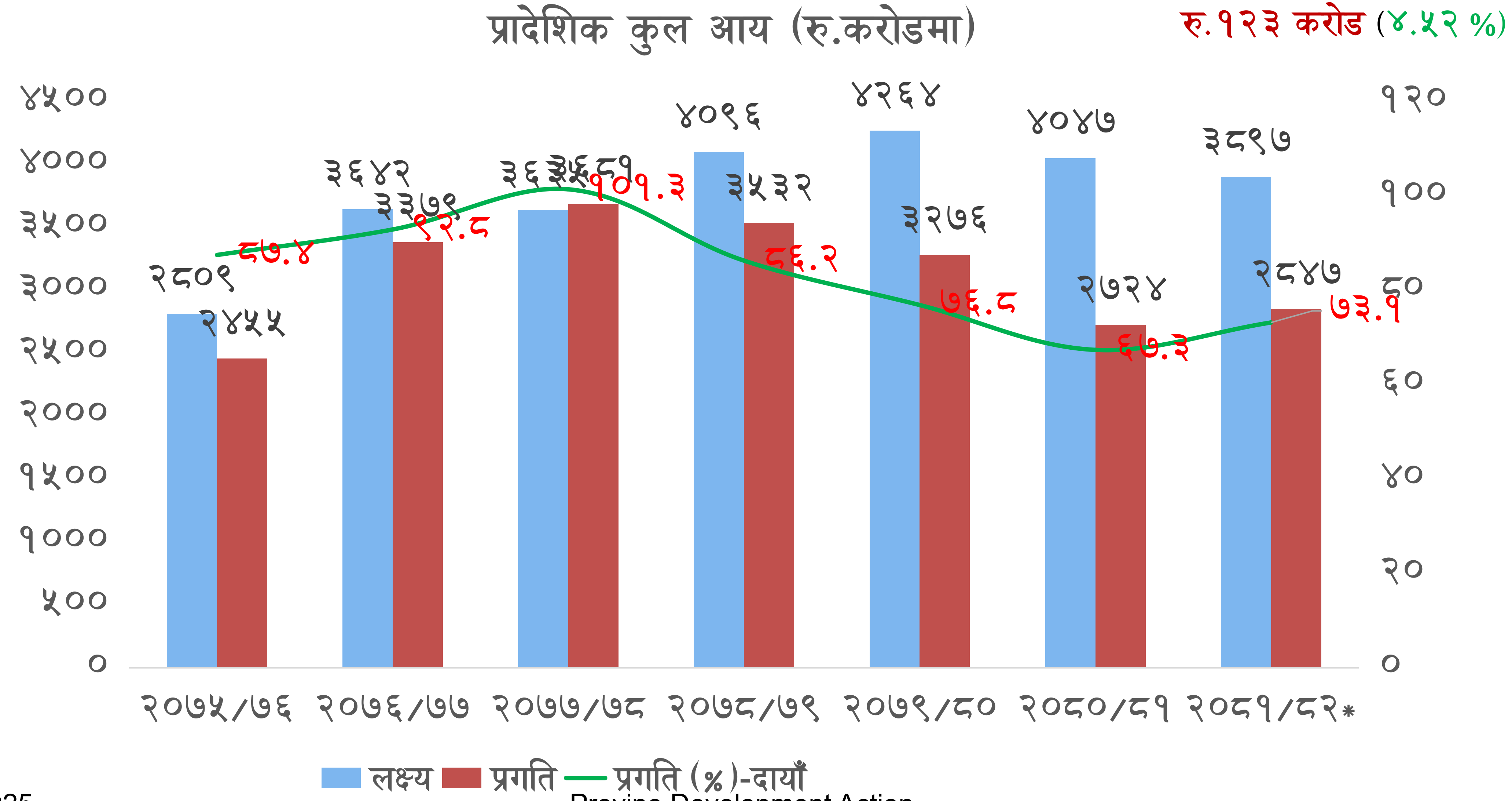

# आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को आय...

लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक आय - साझा अधिकार समेत (रु.करोडमा)

रु.८४ करोड (१७.८ %)

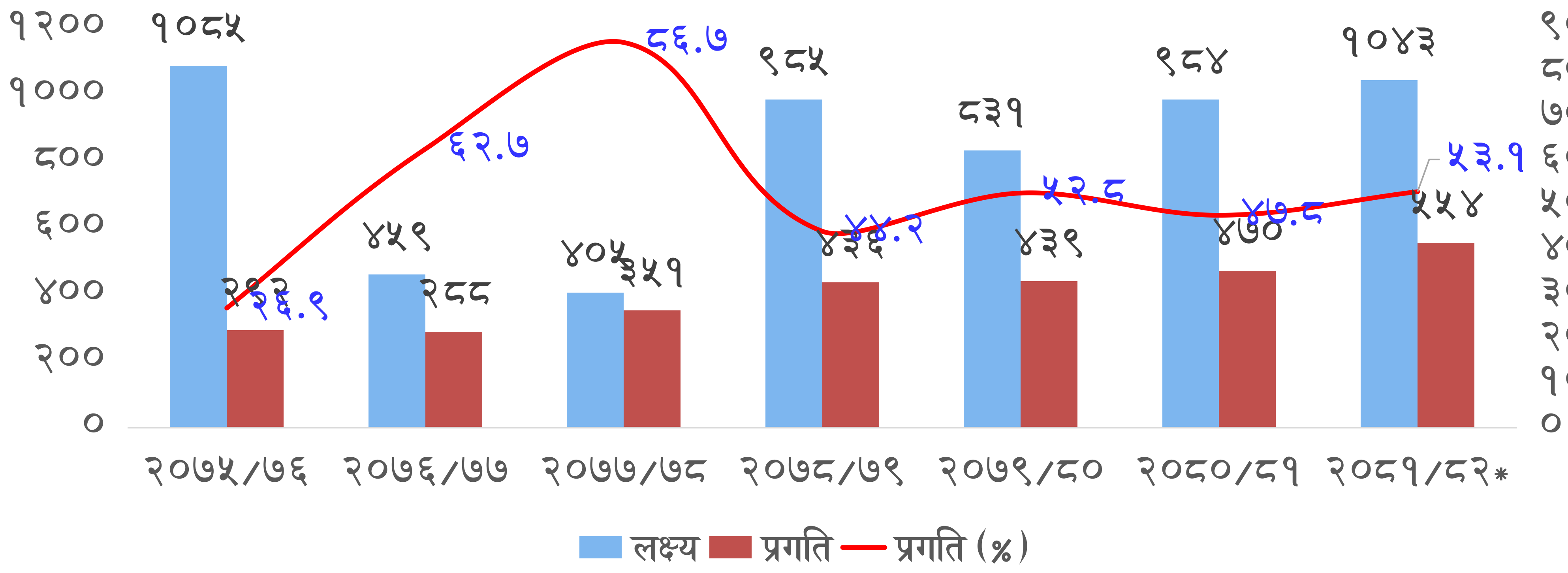

# आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आय...

## नेपाल सरकारलाई फिर्ता हुने अनुदान (रु.करोडमा)

| अनुदान | २०७५/७६ | २०७६/७७ | २०७७/७८ | २०७८/७९ | २०७९/८० | २०८०/८१ | २०८१/८२* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सशर्त अनुदान | ३०८ | ८ | २०१ | १९८ | ९७ | ७९ | ६३ |
| विशेष अनुदान | ० | ३८ | १८ | ३० | २४ | ०.९५ | ४१ |
| समपूरक अनुदान | ६४ | ५४ | १६ | ३४ | ३६ | ६३ | ४६ |
| कुल जम्मा | ३७२ | १०१ | २३५ | २६२ | १५७ | १४३ | १५० |

* प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार

# आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आय...

## आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रदेश सञ्चित कोषको अवस्था (रु.करोडमा)

| विवरण | लक्ष्य | प्रगति | प्रगति (प्रतिशतमा) |
|---|---|---|---|
| कुल आय | ३८९७ | २८४७ | ७३.१ |
| जम्मा खर्च (क+ख) | ३८९७ | २८०९ | ७२.१ |
| क. चालु खर्च | १४३८ | १०१८ | ७०.८ |
| ख. पुँजीगत खर्च | २४५९ | १७९१ | ७२.९ |
| *प्रदेश सञ्चित कोषः ३८ (प्रारम्भिक प्रतिवेदन)*<br>*नेपाल सरकारलाई फिर्ता हुने अनुदान रकमः १५० (प्रारम्भिक प्रतिवेदन)* | | | |

* प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार

# प्रदेश सरकारको  आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को खर्च

# प्रदेश सरकारको खर्च

| बजेट विनियोजन | चालु खर्च प्रतिशत | पुँजीगत खर्च प्रतिशत | कुल खर्च प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| २०७५/७६ | ५९.८ | ६१.२ | ६०.६ |
| २०७६/७७ | ५९.९ | ७९.२ | ६९.८ |
| २०७७/७८ | ७६.७ | ९९.४ | ८८.३ |
| २०७८/७९ | ६३.९ | ८२.२ | ७३.४ |
| २०७९/८० | ६८.९ | ७२.५ | ७०.९ |
| २०८०/८१ | ६०.५ | ६८.९ | ६५.३ |
| २०८१/८२* | ७०.८ | ७२.८ | ७२.१ |

| विवरण | प्रादेशिक खर्च प्रतिशत | Rank |
|---|---|---|
| कोशी | ८० | १ |
| बागमती | ७३ | २ |
| लुम्बिनी | ७२ | ३ |
| मधेश | ७१ | ४ |
| सुदूरपश्चिम | ७० | ५ |
| गण्डकी | ६९ | ६ |
| कर्णाली | ६४ | ७ |

# प्रदेश सरकारको खर्च...

## विषयगत मन्त्रालय/ निकायको प्रगति (रु.करोडमा )

| सि. नं. | मन्त्रालय/केन्द्रिय निकाय | चालु खर्च | | | पुँजीगत खर्च | | | जम्मा | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बजेट | खर्च | प्रतिशत | बजेट | खर्च | प्रतिशत | बजेट | खर्च | प्रतिशत |
| १ | प्रदेश लोक सेवा आयोग | ८.३० | ७.७० | ९२.८० | ०.७० | ०.३७ | ५३.५० | ९.०० | ८.०८ | ८९.७४ |
| २ | स्थानीय तह | ३१४.१३ | २७५.३८ | ८७.६६ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ३१४.१३ | २७५.३८ | ८७.६६ |
| ३ | स्वास्थ्य मन्त्रालय | ३१८.०९ | २५७.८८ | ८१.०७ | २५७.४९ | २३१.६६ | ८९.९७ | ५७५.५८ | ४८९.५४ | ८५.०५ |
| ४ | खानेपानी, ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्रालय | २५.९३ | १७.५२ | ६७.५६ | ५१५.०१ | ४३९.८१ | ८५.४० | ५४०.९४ | ४५७.३३ | ८४.५४ |
| ५ | प्रदेश सभा | २२.५० | १९.०६ | ८४.७३ | ५.०० | ४.१५ | ८२.९२ | २७.५० | २३.२१ | ८४.४० |
| ६ | उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय | २५.९५ | १८.३५ | ७०.७३ | ३०१.१४ | २३३.४४ | ७७.५२ | ३२७.०९ | २५१.७९ | ७६.९८ |
| ७ | **लुम्बिनी प्रदेश** | **१४३८.४१** | **१०१८.१४** | **७०.७८** | **२४५८.५९** | **१७९१.१७** | **७२.८५** | **३८९७.००** | **२८०९.३१** | **७२.०९** |
| ८ | सामाजिक विकास मन्त्रालय | १६९.३७ | १२६.५० | ७४.६९ | ११५.०५ | ७५.२९ | ६५.४४ | २८४.४२ | २०१.७८ | ७०.९५ |
| ९ | आर्थिक मामिला तथा मन्त्रालय | ९.५० | ६.४७ | ६८.११ | ०.५० | ०.३५ | ६९.९२ | १०.०० | ६.८२ | ६८.२० |
| १० | कृषि, भूमि व्यवस्था तथामन्त्रालय | १३८.१९ | ९४.७१ | ६८.५४ | ९.७२ | ५.७९ | ५९.५३ | १४७.९१ | १००.५० | ६७.९५ |

# प्रदेश सरकारको खर्च...

## विषयगत मन्त्रालय/ निकायको प्रगति (रु.करोडमा)

| सि. नं. | मन्त्रालय/केन्द्रिय निकाय | चालु खर्च | | | पुँजीगत खर्च | | | जम्मा | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बजेट | खर्च | प्रतिशत | बजेट | खर्च | प्रतिशत | बजेट | खर्च | प्रतिशत |
| ११ | भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय | ४५.१५ | २९.६१ | ६५.५७ | १००३.६१ | ६७२.२४ | ६६.९८ | १०४८.७६ | ७०१.८५ | ६६.९२ |
| १२ | वन तथा वातावरण मन्त्रालय | ११५.०४ | ८५.७३ | ७४.५२ | ११०.३२ | ६२.४३ | ५६.५९ | २२५.३७ | १४८.१६ | ६५.७४ |
| १३ | उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय | ६२.४८ | ३५.२२ | ५६.३७ | ८१.९९ | ५४.६१ | ६६.६० | १४४.४७ | ८९.८३ | ६२.१८ |
| १४ | आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालय | २८.०५ | १८.४४ | ६५.७५ | १७.७४ | ९.८६ | ५५.५९ | ४५.७९ | २८.३१ | ६१.८२ |
| १५ | लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोग | २.७८ | १.१९ | ४२.८६ | ०.२५ | ०.०२ | ८.५२ | ३.०३ | १.२१ | ४०.०६ |
| १६ | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय | ६०.६७ | २३.५६ | ३८.८३ | ३.९२ | ०.८७ | २२.२६ | ६४.५९ | २४.४३ | ३७.८३ |
| | | १४३८ | १०१८ | ७०.७८ | २४५९ | १७९१ | ७२.८५ | ३८९७ | २८०९ | ७२.०९ |

# प्रदेश सरकारको खर्च...

## आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मन्त्रालयगत प्रगति (प्रतिशतमा) (शुरु विनियोजनका आधारमा)

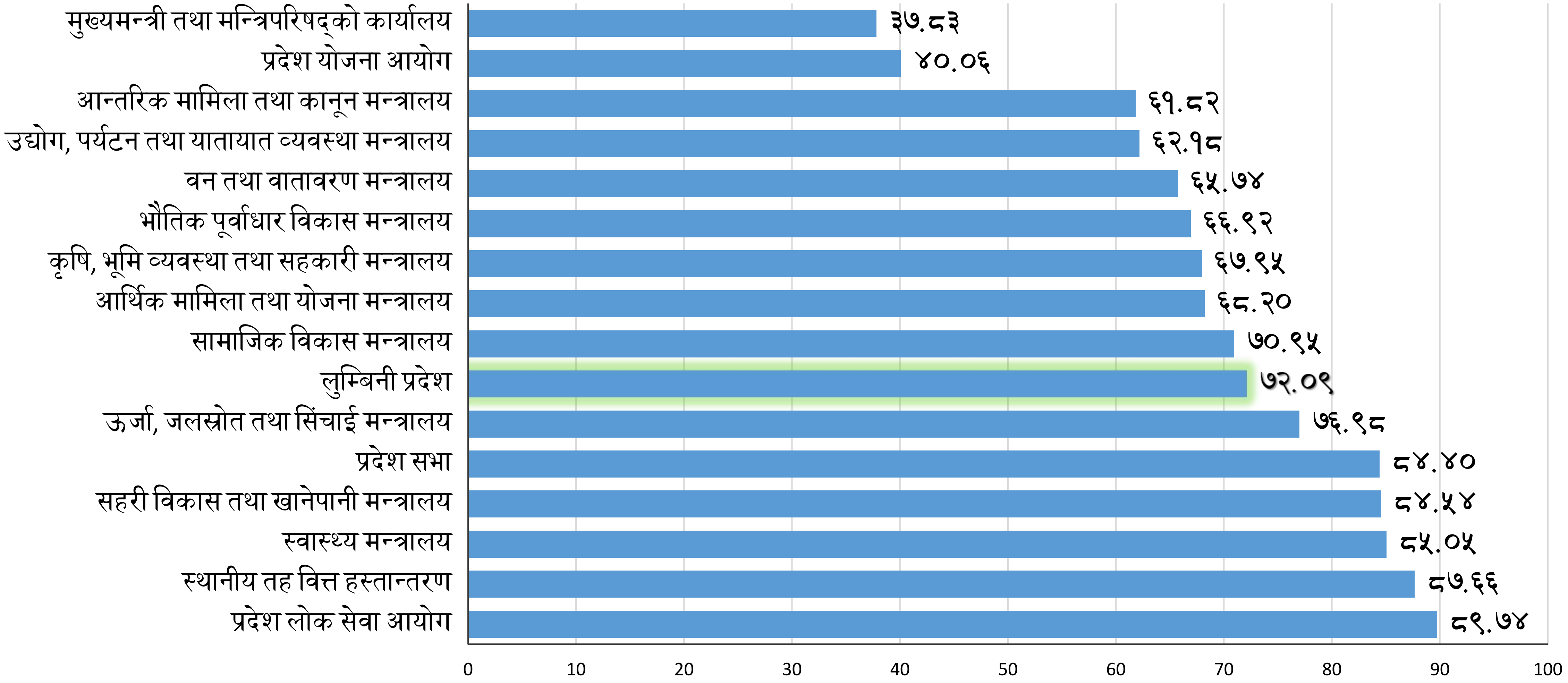




* प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार

# प्रदेश सरकारको खर्च...

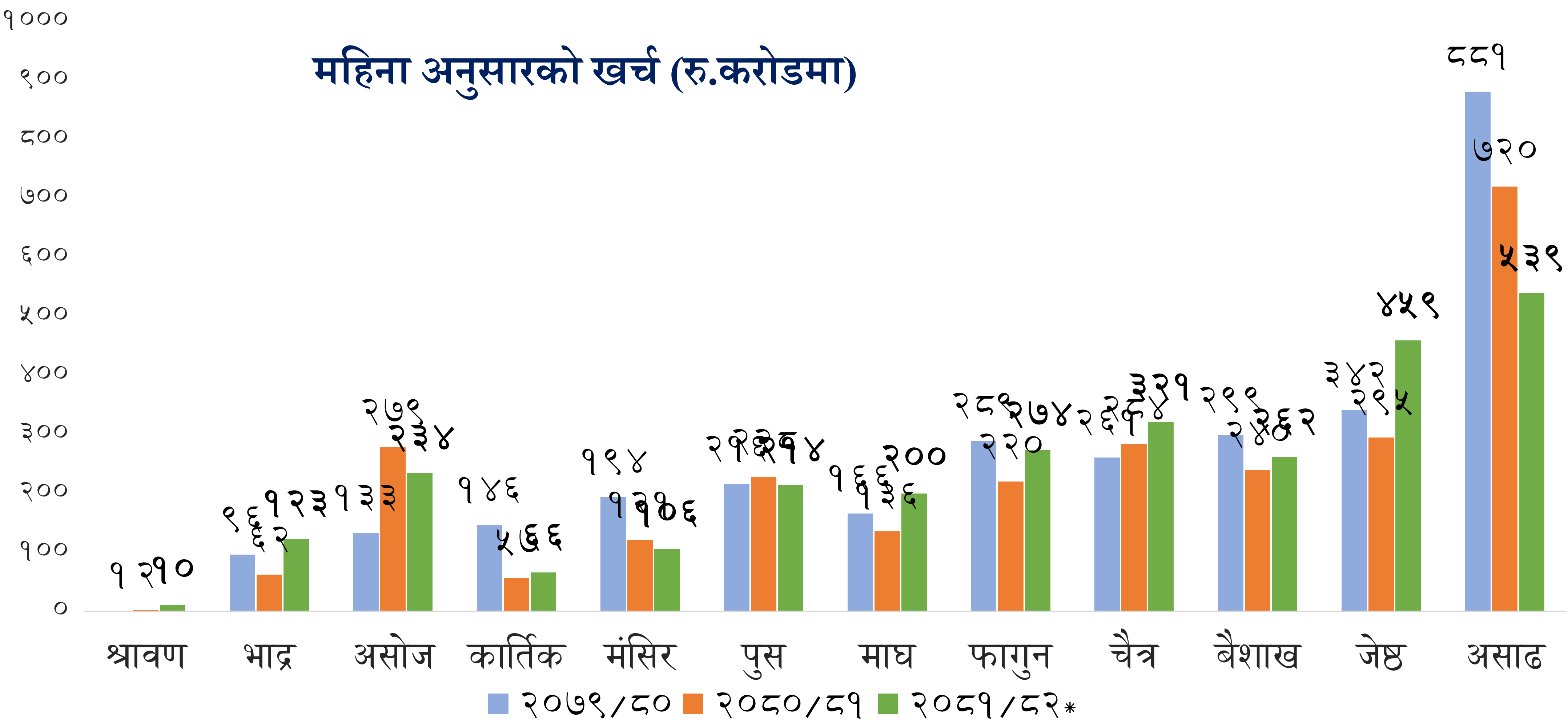

# केहि महत्वपुर्ण आयोजनाहरु

## प्रदेश गौरवको आयोजना

| आयोजनाहरु | लागत अनुमान (रु. करोडमा) | ठेक्का सम्झौता रकम रु. करोडमा | जम्मा खर्च रकम (रु.करोडमा) | भौतिक प्रगति (प्रतिशत) | वित्तीय प्रगति (प्रतिशत) | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल | ८९९.७५ | ७१५.९४ | २३४ | २७ | १६ (पेश्की बाहेक) | २०८२ असार मसान्तसम्म |
| प्रदेश राजधानी निर्माण | ४९५.५ | ३९५.३७ | २७७.२५ | ७५ | ७० | २०८२ असार मसान्तसम्म |
| रामपुर- कपूरकोट सडक | १८४.३४ | १३३.९ | ९३.८२ | ८६ | ७० | २०८२ असार मसान्तसम्म |
| लुम्बिनी प्राबिधिक विश्व विद्यालय | - | ९ | ४.६ | - | ५१ | २०८२ जेष्ठ सम्मको |

# केहि महत्वपुर्ण आयोजनाहरु...

## संघीय विशेष अनुदान अन्तर्गतका आयोजनाहरु

| क्र. सं. | आयोजना/कार्यक्रम | कुल लागत (रु.लाखमा) | आ.व. २०८२।८३ मा विनियोजन (रु.लाखमा) | आयोजना शुरु बर्ष | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण | १९०३ | ६०० | २०८०।८१ | क्रमागत |
| २ | महिला बालबालिका तथा किशोरीको स्वास्थ्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रम | २६५७ | ८०० | २०८१।८२ | क्रमागत |
| ३ | प्रदेश राजधानीको फोहोर व्यवस्थापन तथा संकलन केन्द्र | १८५७ | २०० | २०८१।८२ | क्रमागत |
| ४ | थारु संस्कृति संरक्षण तथा व्यवसायीकरण कार्यक्रम | १००० | ६०० | २०८२।८३ | नयाँ |
| ५ | शैक्षिक विकासको लागि सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि (स्मार्ट विद्यालय कार्यक्रम) | १००० | ६०० | २०८२।८३ | नयाँ |
| ६ | खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम | १००० | ४०० | २०८२।८३ | नयाँ |
| ७ | डिप ट्युववेल सिंचाइ योजनाको पुनर्स्थापना कार्यक्रम | ५६३ | ४५० | २०८२।८३ | नयाँ |
| ८ | पावरटार सिंचाइ योजना सितगंगा १४ अर्घाखाँची | ९५० | ३५० | २०८२।८३ | नयाँ |

# केहि महत्वपुर्ण आयोजनाहरु...

## संघीय समपूरक अनुदान अन्तर्गतका आयोजनाहरु

| क्र. सं. | आयोजना/कार्यक्रम | कुल लागत (रु. लाखमा) | आ.व. २०८२।८३ मा विनियोजन (रु. लाखमा) | आयोजना शुरु वर्ष | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | वाग्दुला दम्ती बहाने...पर्यटन क्षेत्र सडक | ४२१५ | १२२ | २०८०।८१ | क्रमागत |
| २ | निगालपानी जिनावाङ कृषि सडक | ८०२९ | १०७० | २०८१।८२ | क्रमागत |
| ३ | सुलिचैर थवाङ सडक रोल्पा | ९४७० | १२७९ | २०८१।८२ | क्रमागत |
| ४ | बारबर्दिया कतार्निया धधवाङ सडक स्तरोन्नति | ९५७१ | ७४४ | २०८१।८२ | क्रमागत |
| ५ | तम्घास बाखेछेडा भाडगाँउ सडक | ३४०० | ४२५ | २०८१।८२ | क्रमागत |
| ६ | दामोदरमार्ग कुइरेपानी सर्रा सडक | ३००० | ३०० | २०८२।८३ | नयाँ |
| ७ | सन्धिखर्क गच्छे ढिकुरा चैते रामपुर सडक | ३००० | ३०० | २०८२।८३ | नयाँ |
| ८ | बाग्दुला मच्छी सडक | २९९९ | ३०० | २०८२।८३ | नयाँ |
| ९ | गैंडाकोट जुभुङ मजुवा सडक | ३००० | ३०० | २०८२।८३ | नयाँ |
| १० | महेशपुर सुर्यपुरा त्रिवेणी (कुडिया) सडक | २९९९ | ३०० | | नयाँ |

# केहि महत्वपुर्ण आयोजनाहरु (बहुवर्षीय)...

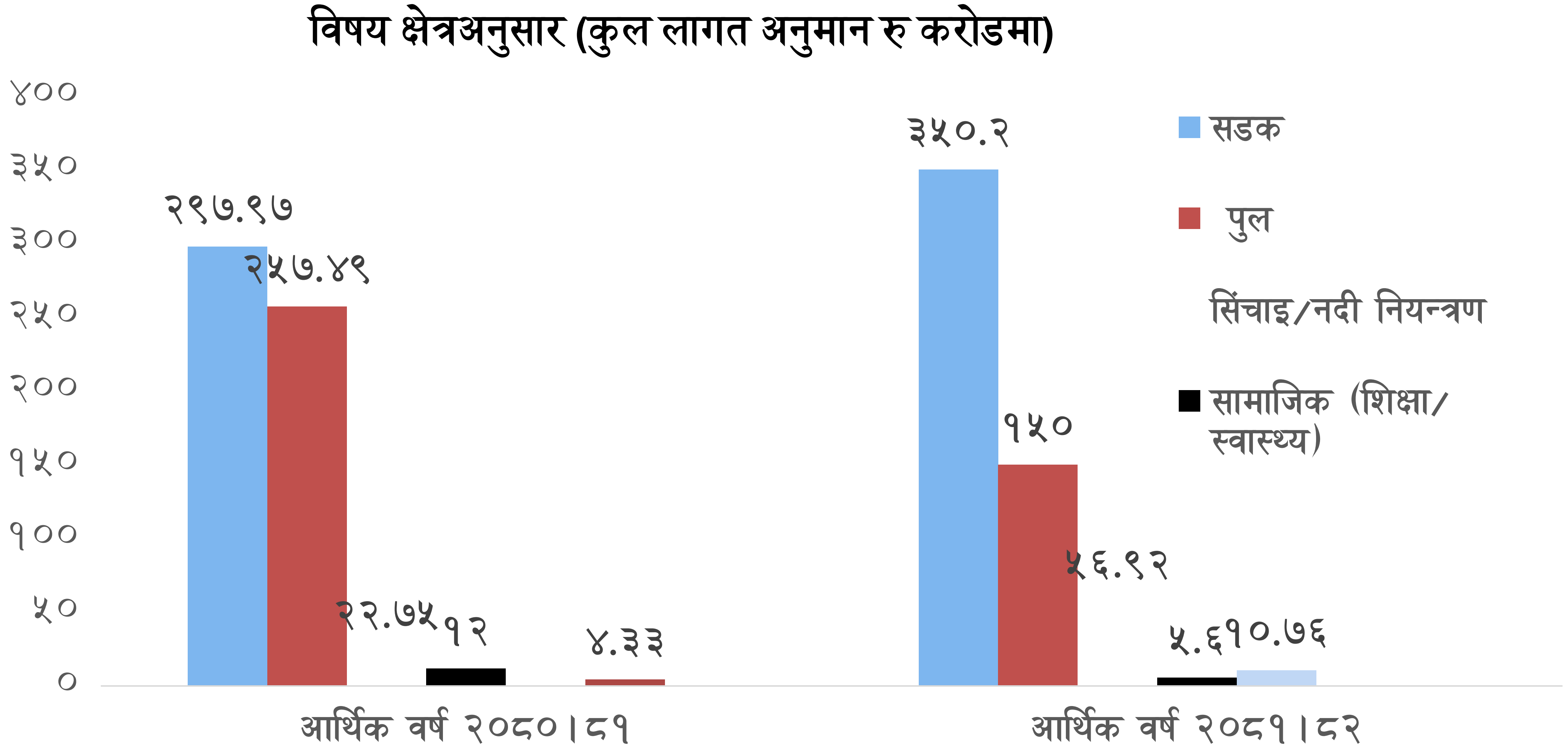

# केहि महत्वपुर्ण आयोजनाहरु (बहुवर्षीय)...

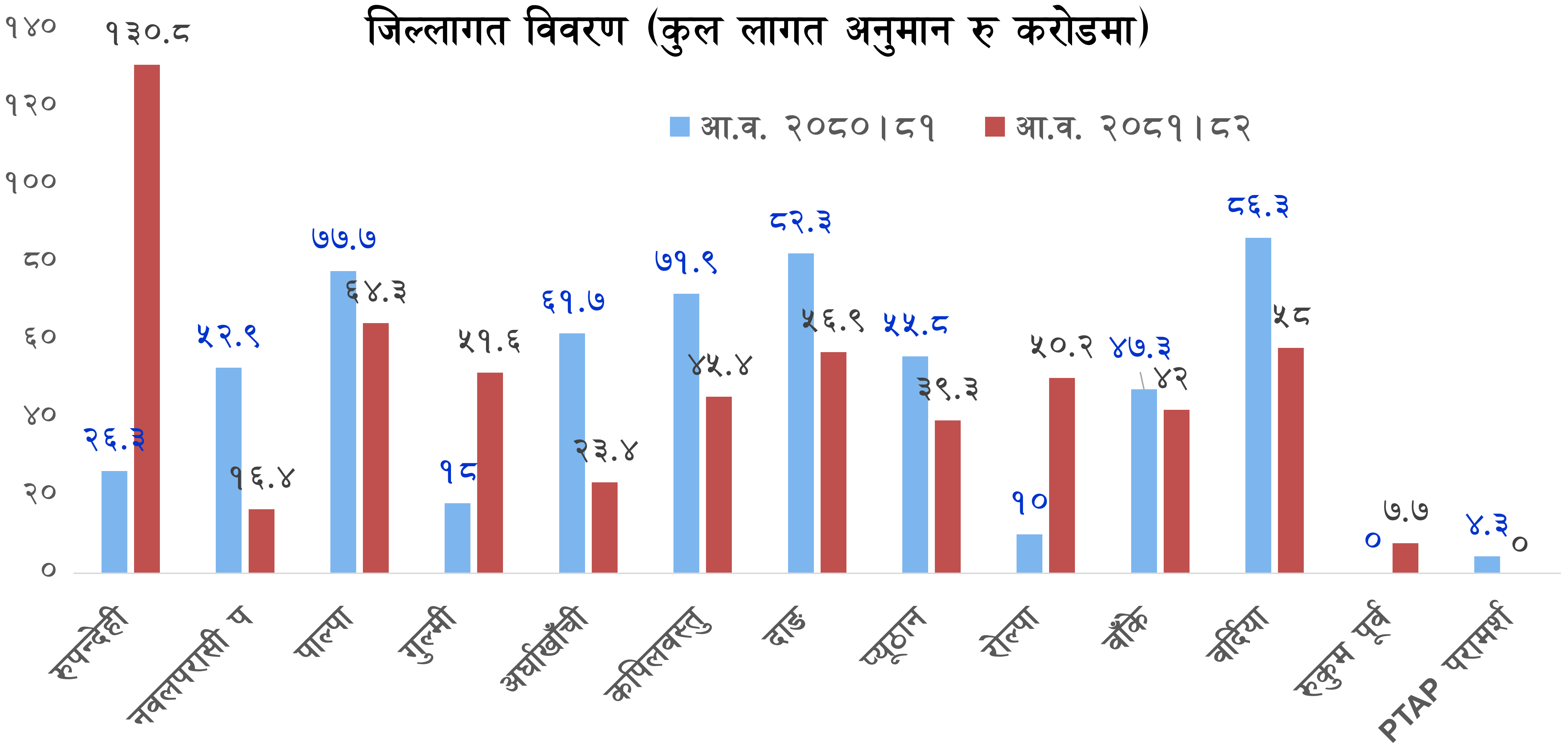

# वित्तीय हस्तान्तरण(स्थानीय तहमा)

| अनुदान | विनियोजन (रू हजारमा) | हस्तान्तरण (रू हजारमा) | खर्च % |
|---|---|---|---|
| समानीकरण | ९५०००० | ९४७६५० | ९९.८ |
| समपुरक | ९०३००० | ६५२८७६ | ७२.३ |
| सशर्त | ११३८३१६ | ९२९६९३ | ८१.७ |
| विशेष | १५०००० | १०९८१७ | ७३.२ |

# वित्तीय हस्तान्तरण(स्थानीय तहमा)...

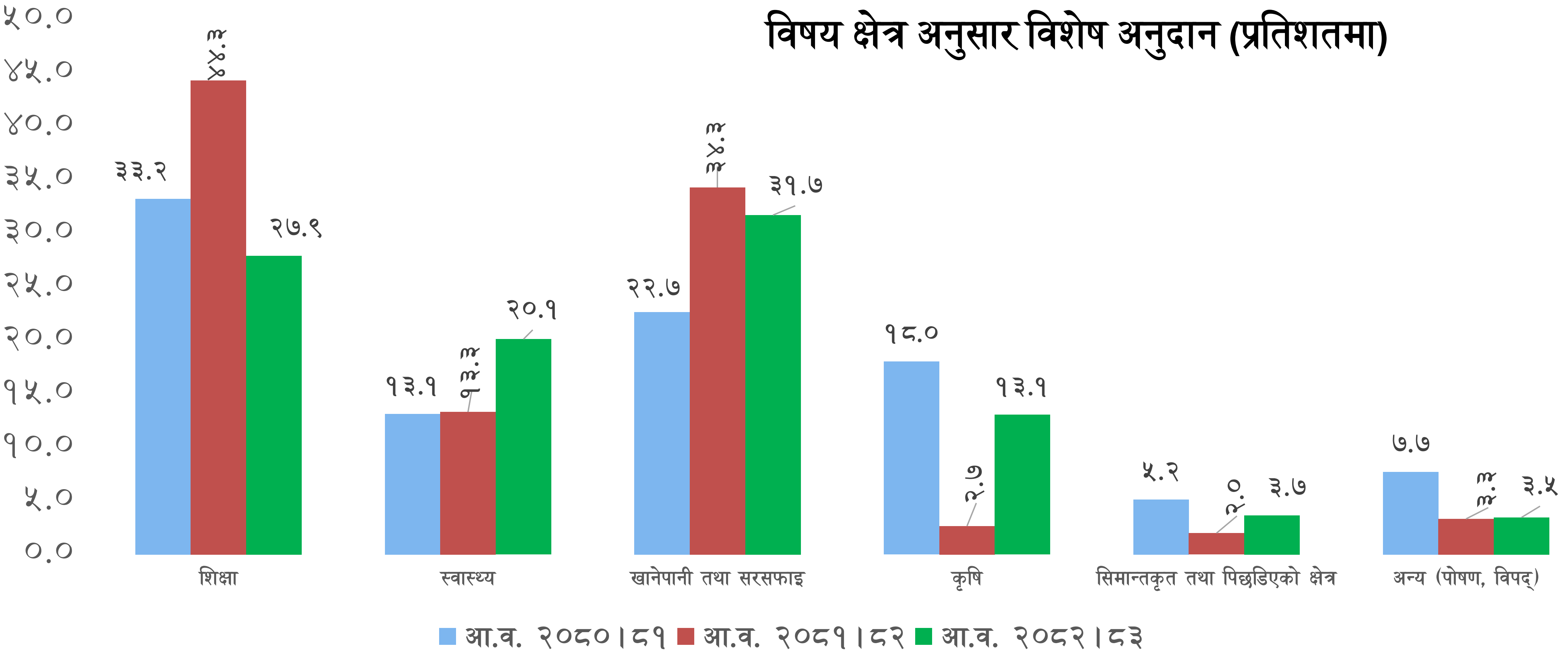

# वित्तीय हस्तान्तरण(स्थानीय तहमा)...

जिल्ला अनुसार प्रदेश विशेष अनुदान (प्रतिशतमा)

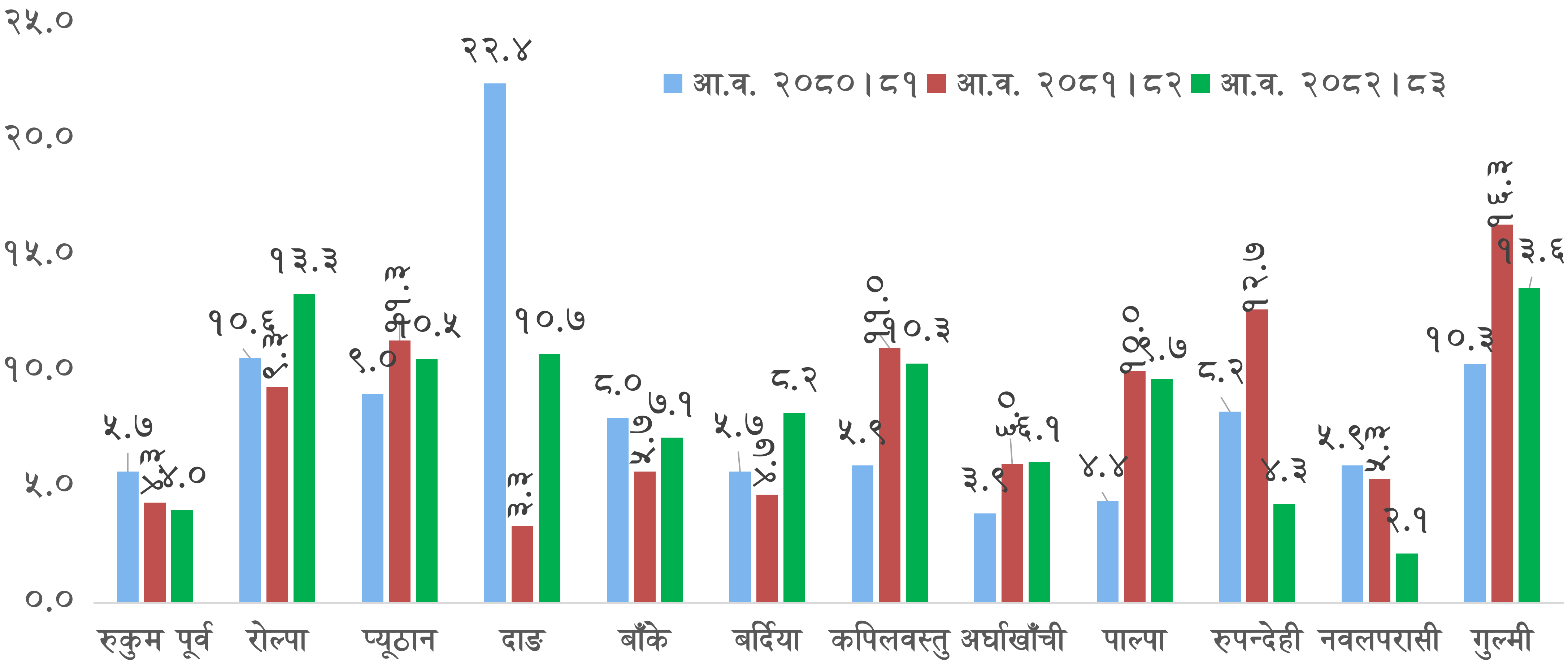

# क्षेत्रगत बजेट बिनियोजन

## दीगो विकास लक्ष्यअनुसार बजेट बिनियोजन(%)

| संकेत | दिगो विकास लक्ष्य | २०७९/८० | २०८०/८१ | २०८१/८२ | २०८२/८३ |
|---|---|---|---|---|---|
| ० | सांकेतीकरण नगरिएको | ४१.११ | २८.६६ | २७.३१ | ३०.११ |
| १ | गरिबीको अन्त्य | ०.५४ | ०.४१ | ०.३१ | ०.२१ |
| २ | शून्य भोकमरी | ७.७२ | ८.३९ | ७.३ | ५.७१ |
| ३ | स्वस्थ जीवन | ७.२९ | ७.८१ | ११.४५ | ९.३९ |
| ४ | गुणस्तरीय शिक्षा | ३.३६ | ३.७३ | ४.४१ | ६.९१ |
| ५ | लैङ्गिक समानता | ०.४ | ०.२३ | ०.३३ | ०.१६ |
| ६ | दिगो सफा पानी तथा सरसफाई सेवा | ३.७२ | ४.६७ | ४.०४ | ४.०४ |
| ७ | आधुनिक उर्जामा पहुँच | ०.२३ | ०.४३ | ०.३५ | ०.२३ |
| ८ | समावेशी आर्थिक वृद्धि तथा मर्यादित काम | ०.८५ | १.६२ | ०.६९ | ०.८५ |

# क्षेत्रगत बजेट बिनियोजन...

## दीगो विकास लक्ष्यअनुसार बजेट बिनियोजन (%)

| संकेत | दिगो विकास लक्ष्य | २०७९/८० | २०८०/८१ | २०८१/८२ | २०८२/८३ |
|---|---|---|---|---|---|
| ९ | उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार | २०.९३ | २१.९६ | २४.६ | २२.५३ |
| १० | असमानता न्यूनीकरण | ०.७५ | २.४३ | २.२६ | ३.३७ |
| ११ | दिगो शहर र वस्तीहरु | ५.८६ | ७.९४ | ८.८६ | १०.०५ |
| १२ | दिगो उपभोग तथा उत्पादन | १.८७ | १.३१ | ०.५३ | ०.४७ |
| १३ | जलवायु परिवर्तन अनुकुलन | १.८५ | ३.०१ | ३.२९ | १.६५ |
| १५ | भूसतह स्रोतको उपयोग | १.३७ | १.२८ | १.५९ | १.९२ |
| १६ | शान्तिपूर्ण, न्यायपूर्ण र सशक्त समाज | १.२५ | ५.५८ | २.६८ | २.४ |
| १७ | दिगो विकासका लागि साझेदारी | ०.८९ | ०.५२ | - | - |

# क्षेत्रगत बजेट बिनियोजन...

| आर्थिक वर्ष | लैङ्गिक उत्तरदायी (%) | | |
|---|---|---|---|
| | प्रत्यक्ष लाभ | अप्रत्यक्ष लाभ | तटस्थ |
| २०७६/७७ | १४.२८ | ३५.३१ | ५०.४१ |
| २०७७/७८ | २१.४६ | ३२.७३ | ४५.८१ |
| २०७८/७९ | ३८.६ | २९.९९ | ३१.४१ |
| २०७९/८० | ३८.१ | २७.८१ | ३४.०९ |
| २०८०/८१ | २७.९ | २२.४७ | ४९.६६ |
| २०८१/८२ | २६.९ | २४.७२ | ४८.३८ |
| २०८२/८३ | २४.८६ | २७.५३ | ४७.६१ |

| आर्थिक वर्ष | जलवायु परिवर्तन (%) | | |
|---|---|---|---|
| | प्रत्यक्ष लाभ | अप्रत्यक्ष लाभ | तटस्थ |
| २०७६/७७ | ० | ० | ० |
| २०७७/७८ | ६ | २८.८८ | ६५.०९ |
| २०७८/७९ | ९.९२ | ३२.१ | ५७.९८ |
| २०७९/८० | ९.५९ | ३३.४१ | ५७.०१ |
| २०८०/८१ | १४.११ | २१.०६ | ६४.८३ |
| २०८१/८२ | ४.६ | २५.७५ | ६९.६५ |
| २०८२/८३ | ४.७४ | २५.४३ | ६९.८३ |

# अघिल्लो बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था

| क्र. सं. | मुद्दा/विषय | प्रगति |
|---|---|---|
| १ | स-साना टुक्रे आयोजना तथा कार्यक्रम धेरै संख्यामा | आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा योजना कार्यक्रम तर्जूमा मापदण्ड तयार गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरको। |
| २ | आयोजनाहरुको प्राथमिकीरण हुन नसकेको | |
| ३ | अन्तरनिकायगत आयोजना/कार्यक्रम तर्जुमामा सामञ्जस्यता (जस्तैः कृषि र सिंचाइ) कायम हुन नसकेको | |
| ४ | आयोजना निर्माण हुने जग्गा उपलब्धताको निश्चितता नभइकनै बजेट विनियोजन हुने गरेको | |
| ५ | अधुरा आयोजनाहरु धेरै रहेका | |

# अघिल्लो बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था...

| क्र. सं. | मुद्दा/विषय | प्रगति |
|---|---|---|
| ६ | खानेपानी योजनामा जनश्रमदानको हिस्सा | राष्ट्रिय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता नीति, २०८० संग तादाम्यता हुने गरी ऐनको मस्यौदा तयार भएको। |
| ७ | गत आर्थिक वर्षको बाँकी भुक्तानीको फरफारक | सिर्जना भैसकेको दायित्व फरफारक भएको। |

# अघिल्लो बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था...

| ८ | अघिल्लो PDAC का निर्णयहरु कार्यान्वयनको निरन्तरता | प्रगति |
| --- | --- | --- |
| क | अस्पतालहरुको संचालन खर्च धान्न सक्ने उपायहरुको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले बैशाख मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने। | अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएको |
| ख | एकिकृत शहरी पूर्वाधार निर्माणको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले बैशाख मसान्तसम्म तर्जुमा गर्ने। | कार्यविधि तर्जुमाको सन्दर्भमा प्रारम्भिक छलफल भएको। |
| ग | एकै प्रकृतिको कार्य एक भन्दा बढी निकायहरुबाट हुने गरेको विषयमा त्यस्ता निकायहरुको स्पष्ट कार्यक्षेत्र एकिन गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड प्रदेश योजना आयोगले बैशाख मसान्तसम्म तर्जुमा गर्ने | थप अध्ययनको आबस्यकता |
| घ | न्यून उपयोग भएका एवं उपयोगमा नरहेका निर्मित पूर्वाधारहरुको उपयोग वा हस्तान्तरणका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्य प्रदेश योजना आयोगले बैशाख मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने | अध्ययन प्रतिवेदनहरु प्राप्त भएको |

# आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य समस्याहरू

**नीतिगत व्यवस्था**

- संघीय र प्रादेशिक कानुनमा विरोधाभाष (वन तथा वातावरण)
- अर्धन्यायिक निकायको अधिकार प्रयोगमा कानुनी जटिलताहरु (वन तथा वातावरण)
- कृषि अनुदानहरु कानूनी रुपमा कमजोर देखिएको सन्दर्भमा कृषि विकास ऐन तर्जुमाको आवश्यकता देखिएको।
- ऐन परिमार्जन, संशोधन र निर्माण (वीउ विजन र जीवनाषक विषादी)

**कार्य विस्तृतिकरण**

- संघ र प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा अस्पष्टता : भूमिगत सिंचाइ, तटवन्ध लगायतका कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकार अन्तर्गतका संरचनाहरू मार्फत कार्यान्वयन हुने गरी वजेट व्यवस्थापन हुनुपर्ने ।
- कार्यक्षेत्रको दोहोरोपना : एकै प्रकृतिका आयोजना, पूर्वाधार, कार्यक्रमहरु फरक फरक निकायहरुबाट कार्यान्वयन भैरहेको।

**अन्तरआवद्धता**

- निर्मित संरचनाहरूलाई उत्पादनसंग जोड्न नसकिएको
- सिञ्चित क्षेत्रफलमा कृषिको Intensive कार्यक्रम र कृषिको सम्भावना भएको कृषियोग्य भूमिमा सिंचाइ पूर्वाधार निर्माण, कृषि सडकहरू निर्माण ।
- निर्माण भएका भौतिक संरचनाहरुको उपयोगिता (शित भण्डार, बजार पूर्वाधार, गोदाम घर, वीउ भण्डारण गृह)
- वितरण भएका यन्त्र उपकरण र कृषि उपज ढुवानी साधनको प्रयोग

# आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य समस्याहरू...

**बजेट तथा आयोजना सम्बन्धमा**

- अधुरा आयोजना धेरै, आयोजना प्राथमिकीकरण नहुनु, बजेट अनुमान र यथार्थताबीच अन्तर बढी हुनु, बजेट आकार ठूलो
- १० लाख भन्दा कम बजेट विनियोजन भएका आयोजना संख्या धेरै रहेको,
- आयोजनाको DPR यथार्थपरक, अनुमानयोग्य र उद्धेश्यअनुरुप नभएका
- झो.पु तथा सडक पुलहरुको डिपीआर नहुनु।

**न्यून बजेट बिनियोजन**

- जनता आबासमा न्यून बजेट (संझौता भएका आवासलाई नै अपुग हुने)
- सहरी विकास तर्फ संघ समपुरक अनुदानको २४ करोड वहुवर्षिय स्वीकृत रकम प्राप्त नभएको।
- संघ शसर्त अनुदान तर्फका ३१६ खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरु विगत १२ वर्ष देखि न्यून बजेटको कारण सम्पन्न हुन नसकेको अवस्था रहेको छ।

**बहुवर्षीय आयोजना**

- बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितताबाट सिर्जित प्रदेश सरकारको दायित्वको यथार्थपरक अभिलेख नभएको।

# आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य समस्याहरू...

**राजस्व सम्बन्धमा**

- प्रदेश सरकारको आयको दायरा साँघुरो रहेको
- विज्ञापन कर, मनोरञ्जन करको दायरा बढ्न नसकेको
- कृषि आयमा लाग्ने कर कार्यान्वयनमा आउन नसकेको
- स्थानीय तहसँग बाँडफाँट हुने करहरू, नदीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने आयमा समस्या
- सवारी साधन करमा समस्या रहेको (अन्य प्रदेशमा दर्ता हुने, कर अन्यत्र बुझाउने प्रयोग यस प्रदेशमा गर्ने)
- घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कको वास्तविक कारोबारसँग तादम्यता मिलाउन नसकेको

**जनशक्तिक ब्यबस्थापन**

- अपर्याप्त तथा दक्ष जनशक्तिको अभावले आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या

**अनुदान नीति**

- अनुदानप्रतिको दृष्टिकोण र वैकल्पिक सेवा

**जग्गा प्राप्तिमा**

- संघसस्थाको जग्गा प्राप्तिमा समस्या
- जग्गा  प्राप्ति बिना बजेट विनियोजन हुँदा योजना कार्यान्वयन जान नसक्ने र रकम फ्रिज हुने समस्या।

# प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकका कार्यसूचि र प्रस्तावित निर्णयहरु

| सिं.नं. | विषय/मुद्दा/सवाल | समाधानका लागि गर्नुपर्ने कार्य | मुख्य जिम्मेवार निकाय र समय सीमा |
|---|---|---|---|
| १. | आयोजना/कार्यक्रमका लागि प्राप्त संघीय अनुदान रकम खर्च हुन नसकी फिर्ता हुने तर आयोजना अधुरो रहने; त्यसपछिको आ.व.मा संघबाट वजेट विनियोजन नहुने र प्रदेश सरकारलाई दायित्व थप हुने | पूर्व तयारीका कार्य (DPR,EIA/IEE, जग्गा प्राप्ति लगायत) सम्पन्न भएका आयोजनाका लागि मात्र विशेष तथा समपूरक अनुदान प्रस्ताव गर्ने। | सम्बन्धित मन्त्रालय (निरन्तर) |
| | | संघीय अनुदानबाट सञ्चालित आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई जिम्मेवार बनाउने। | सम्बन्धित मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय (पौष मसान्तभित्र) |
| | | तेस्रो त्रैमासिक अवधिभित्र बजेट निकासा/फुकुवा हुने गरी PLMBIS मा संशोधन गर्ने । | |
| २ | प्रदेश सरकारको स्रोतबाट निर्माण सम्पन्न भएका भौतिक संरचनाहरुको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन/ हस्तान्तरण | शीत भण्डार, डबली र रिफ्रेस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउनका लागि आवश्यक पर्ने रणनीति/ कार्यविधि/ मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने | सम्बन्धित मन्त्रालय (पौष मसान्तभित्र) |
| ३ | सबै व्यवसायको दर्ता / नविकरणबाट प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व प्राप्ति | सबै व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन दर्ता र नवीकरण गर्ने निकायले कार्य योजना तयार गरी विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने | सम्बन्धित मन्त्रालय (असोज मसान्तभित्र कार्ययोजना-निरन्तर) |

# प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकका कार्यसूचि र प्रस्तावित निर्णयहरु ...

| सिं.नं. | विषय/मुद्दा/सवाल | समाधानका लागि गर्नुपर्ने कार्य | मुख्य जिम्मेवार निकाय र समय सीमा |
|---|---|---|---|
| ४ | बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितताबाट सिर्जित प्रदेश सरकारको दायित्वको यथार्थपरक अभिलेख | बहुवर्षीय ठेक्कामा सञ्चालित आयोजना/कार्यक्रमहरुको आ.व. २०८१।८२ सम्मको दायित्व एकीन गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगलाई उपलब्ध गराउने | सम्बन्धित मन्त्रालय (असोज मसान्तभित्र) |
| ५ | जनशक्ति व्यवस्थापन | मौजुदा पदाधिकारी/कर्मचारी र संगठन संरचनाको पुनरावलोकन गरी खारेजी, एकीकरण र उपयुक्त आकारमा ल्याउने | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (असोज मसान्त) |
| ६ | साधारण खर्चमा वृद्धि हुदै जाँदा विकास खर्चमा संकुचन | | |
| ७ | प्रादेशिक लगायत अन्य अस्पतालहरुको सञ्चालन खर्च धान्न सक्ने गरी आत्मनिर्भर बनाउने र कार्य संचालनमा मितव्ययिता ल्याई स्रोतको उच्चतम उपयोग | यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी उपयुक्त कार्ययोजना बनाई लागु गर्ने | स्वास्थ्य मन्त्रालय (पौष मसान्त) |

# प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकका कार्यसूचि र प्रस्तावित निर्णयहरु ...

| सिं.नं. | विषय/मुद्दा/सवाल | समाधानका लागि गर्नुपर्ने कार्य | मुख्य जिम्मेवार निकाय र समय सीमा |
|---|---|---|---|
| ८ | वार्षिक आयोजना/कार्यक्रम छनौट निश्चित मापदण्ड र विधिमा आधारित बनाई प्राथमिकताको आधारमा बजेट विनियोजन | वार्षिक योजना/कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी निर्देशिका तयार गर्ने र प्रदेश आयोजना बैंक कार्यान्वयनमा ल्याउने | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश योजना आयोग (पौष मसान्त) |
| ९ | नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्दा सिंचाईका मुहान तथा बाँधहरुमा हुने क्षति | नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ मा संशोधन वा अन्य कुनै विधिबाट यस्तो प्रकारको क्षति रोक्न आवश्यक प्रबन्ध गर्ने | वन तथा वातावरण मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय (असोज मसान्त) |
| १० | सिंचाइ योजनामा जनश्रमदानको अस्वभाविक अंश | नेपाल सरकार र अन्य प्रदेश सरकारहरुको अवस्था समेतलाई हेरी उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्ने | उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय (असोज मसान्त) |
| ११ | प्रदेश स्थापनाकालको सुरुवातमा निर्माण भएका कानूनहरुको पुनरावलोकन र नयाँ कानुनको निर्माण | मौजुदा कानूनहरु पुनरावलोकन गरी समय सापेक्ष बनाउने र नयाँ कानुनको निर्माण गर्ने | सम्बन्धित सबै मन्त्रालय/निकाय (पुष मसान्त) |

# प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकका कार्यसूचि र प्रस्तावित निर्णयहरु ...

| सिं.नं. | विषय/मुद्दा/सवाल | मुख्य जिम्मेवार निकाय |
|---|---|---|
| १२. | कानून बमोजिम सिर्जना भएको गत वर्षको दायित्व प्रचलित कानून, विधि र प्रक्रियाबमोजिम भुक्तानी गर्ने, | सम्बन्धित मन्त्रालय / निकायहरु |
| १३. | अधुरा आयोजनाहरुको भौतिक प्रगतिको अंश, सम्पन्न गर्न आबश्यक पर्ने बजेट समेत खुल्ने गरी विवरण तयार गरी सोको जानकारी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगलाई उपलब्ध गराउने, | सम्बन्धित मन्त्रालय / निकायहरु |
| १४. | सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न तालीम, गोष्ठी, सेमिनार, बैठकजस्ता कार्यक्रमहरु सम्भव भएसम्म सरकारी, सहकारी, सार्वजनिक तथा व्यवसायिक संगठनका सभाहलहरुमा सञ्चालन गर्ने, | सम्बन्धित मन्त्रालय / निकायहरु |

# राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषयहरु

१. **ढुँगा गिट्टी बालुवाबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँटक**ो विषयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ढुँगा गिट्टी बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा भएको व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थासँग बाझिएकोले प्रदेशको राजस्व प्राप्तिमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ। राजस्व बाँडफाँटको विषयलाई संघीय ऐनमा नै प्रबन्ध गरी प्रदेशको हिस्सा प्राप्त हुने व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने।

२. प्रदेश राजमार्ग तथा प्रदेश **सडकको अधिकार क्षेत्र (Right of Way) भित्र विद्युत पोलहरु रहे**का र अहिले पनि अधिकार क्षेत्रभित्रै पर्ने गरी विद्युत पोल राखी विद्युत लाइन विस्तार हुने हुँदा सडक स्तरोन्नतिमा विद्युत पोलका कारण गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ। उक्त विद्युत पोल हटाउने सम्बन्धमा प्रकृयागत जटिलता र झमेला समेत देखिइरहेको सन्दर्भमा आउँदा दिनमा सडकको अधिकार क्षेत्रबाहिर पर्नेगरी मात्र लाइन विस्तारको व्यवस्था मिलाउन विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन हुनुपर्ने ।साथै, प्रदेश राजमार्ग तथा प्रदेश सडकको अधिकार क्षेत्र (Right of Way) भित्र रहेका विद्युत पोलहरु सडक विस्तारको क्रममा हटाउनुपर्ने अवस्थामा विद्युत **प्राधिकरणले नै आफ्नै खर्चमा हटाउने व्यवस्था मिलाउन विद्युत** प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुपर्ने।

# राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषयहरु...

३. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा **समान प्रकृतिका कार्य सम्**पादनका लागि **समानान्तर कार्या**लयहरु भएकोले अनाबश्यक रुपमा चालु खर्च बढ्न गएको हुँदा जिल्लामा रहेका जुनसुकै तह मातहतको कार्यालयलाई अख्तियारी दिई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

४. देशभर नै **गुणस्तर र एकरुपता कायम** गर्नका लागि संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट कृषि विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको **भौतिक संरचना निर्माण** (गोठ/खोर/बजार पूर्वाधार /वीउ भण्डारण गृह/शीत भण्डार/चिस्यान केन्द्र/हाई टेक नर्सरी लगायत) **र यन्त्र उपकरणको न्यूनतम प्राविधिक मापदण्ड जारी** हुनुपर्ने ।

५. संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका खानेपानी लगायतका अधुरा आयोजना पूरा गर्न संघीय सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने।

६. राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र प्रदेश गौरबका आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री (ढुंगा, गिटी, वालुवा) प्रदेश सरकारले तोकेको रोयल्टी बुझाई स्थानीय तहको प्रतिनिधिको रोहवरमा संकलन गरी प्रयोगमा ल्याउन पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने।

# राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषयहरु...

७. आयोजनाबाट लाभान्वित हुने लाभग्राहीको संख्या, लगानी रकम, प्राविधिक जटिलता लगायतका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजनाको रुपमा बर्गीकरण गरी जुन तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने आयोजना हो, सोही तहले बजेट विनियोजन एवं कार्यान्वयन गर्ने नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था गरी बजेट विनियोजन तथा स्रोतको दोहोरोपन हटाउनुपर्ने।

८. सडक मर्मत सम्भारको दिगो व्यवस्थाका लागि प्रदेशमा स्रोतको अभाव रहेकोले मर्मत दस्तुर वापत संकलित राजस्वको हिस्सा प्रदेशस्तरका सडकहरुको समेत मर्मत सम्भारका लागि प्रदेशलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने,

९. कृषिजन्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, दुध चिस्यान केन्द्र, मासु चिस्यान केन्द्र, शीत भण्डार लगायतमा विद्युत महसुल छुट सम्बन्धी नीतिगत ब्यवस्था र एकीकृत मापदण्ड तर्जुमा गरी महसुल छुट उपलब्ध गराउनुपर्ने।

१०. नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने कृषिका कार्यक्रमहरुमा दोहोरोपन, अनुदान वितरण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको जस्ता विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत कृषि विकास ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने।

११. मौजुदा जनशक्ति, जिल्लाभरको कार्यक्षेत्र र कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने अवधि (१५ दिन) जस्ता पक्षलाई हेर्दा जिल्लास्थित कृषि, मत्स्य तथा पशुपन्छी क्षेत्र हेर्ने कार्यालयले बिमा प्रिमियम अनुदानको भुक्तानीका लागि सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था अत्यन्त अव्यवहारिक एवम् कठिनाइपूर्ण भएकोले सो जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने वा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने गरी बाली तथा पशुधन बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०८१ मा संशोधन गर्नु पर्ने।

# धन्यवाद !